न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 95/2013

1 बरजी देवी पत्नी रामदेव जाति जाट निवासी चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 डालूराम पुत्र खींवारामा।
2 रामचन्द्र पुत्र परसाराम।
3 हरलाल पुत्र परसाराम।
4 सुरजी देवी पत्नी परसाराम समस्त जाति जाट निवासीगण धोद तहसील धोद जिला सीकर।
5 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोद।
6 उप पंजियक सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी सहायक कलेक्टर महोदय प्रथम सीकर दिनांक 02.03.2010

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज कुमार ढ़ाका, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सागरमल धायल, अधवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 15.04.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 101/2007 में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम धोद की तन में भूमि खसरा नम्बर 857 रकबा 2.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 1.79 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.86 हैक्टेयर सम्पूर्ण मय पम्पी सैट विधुत चालित, विधुत कनेक्शन सहित कूप को अपीलांट ने दिनांक 09.03.2007 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेंट्स संख्या 2 लगायत 4 से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी भी अपीलांट के नाम दर्ज हो गई है तथा मौजुदा में उक्त भूमि पर अपीलांट बहैसियत खातेदार, काश्तकार काबिज है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर अपीलांट के खाते कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 857 रकबा 2.07 हैक्टेयर में से 0.19 हैक्टेयर भूमि की इकतरफा डिक्री प्राप्त कर गलत रूप से दिनांक 02.03.2010 से अपने नाम से दर्ज करवा ली। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सम्यक तामील करवाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 857 अपीलांट के खाते कब्जे काश्त की खरीद शुद्वा भूमि है। उक्त भूमि में से बिना विधिक अधिकार के 0.19 हैक्टेयर भूमि न्यायालय को मुगालता देकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री से नाम करवाई गयी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 855 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 857 व 858 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे आवागमन हेतु रास्ता राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कर नक्शा ट्रेश में रास्ते के रूप में कटान करवाने बाबत इकरारनामा दिनांक 10.11.2012 को दोनो पक्षो में सक्षम साक्षियान की उपस्थिति में नोटेरी से तस्दीक कर तहरीर व तकमील किया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी पूर्व से थी। अपीलांट ने धारा 5 के आवेदन में मिथ्या कथन अंकित किये है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वाद संख्या 387/1994 प्रस्तुत तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.1995, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट, फिल्ड बुक, नक्शा, मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से वाद वादी बखुबी साबित है। विचारण न्यायालय ने इनका विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 855 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 857 व 858 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे आवागमन हेतु रास्ता राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कर नक्शा ट्रेश में रास्ते के रूप में कटान करवाने बाबत इकरारनामा दिनांक 10.11.2012 को दोनो पक्षो में सक्षम साक्षियान की उपस्थिति में नोटेरी से तस्दीक कर तहरीर व तकमील किया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी पूर्व से थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर